



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 13 सन् 2026

लवकुश

.... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य

.....उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संदीप कुमार तिवारी

उत्तरदातागण के लिए अधिवक्ता : आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि उत्तरदाता संख्या 2 अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को पुनरीक्षण/वाद संख्या 75/2007-2008 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या सी2008020000218) में लंबित पुनर्स्थापन आवेदन दिनांक 30.10.2023 पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण संबंधित न्यायालय को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह उपरोक्त आवेदन को विधि के अनुसार सख्ती से और अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर तय करे, लेकिन अनावश्यक स्थगन दिए बिना जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,)

फ़रवरी 9, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"